नन्दलाल / संजय

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
5.11.21	पत्रावली पेश हुई। सम्मिलित रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपील के साथ संलग्न मियाद अधिनियम की दफा-5 के प्रार्थना-पत्र पर अपीलांट अभि० को सुना गया। अपील subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ संलग्न अन्तरिम स्थगन प्रार्थना-पत्र पर अपी. अभि. को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रार्थना-पत्र दिनांक 9.11.21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
9/11/21	पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रार्थना-पत्र पेश हुई। अपीलांट अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन तथा तहत अदालत के आदेश दिनांक 24.09.2019 का अवलोकन किया। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम द्वारा प्रतिवादी/अपीलांट जो कि विवादित आराजी में सह-खातेदार है को बिना सुने ही उनके विरुद्ध एकपक्षीय स्थगन जारी किया गया है, जो कि न्यायसंगत नहीं है। अत: तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटकासिम का आदेश दिनांक 24.09.2019 प्र० संख्या 182/19 उनवान संजय बनाम वेदप्रकाश का प्रभाव निरस्त करते हुये तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटकासिम को उनके यहां लम्बित प्रा० पत्र 212 RTACT के प्रार्थना-पत्र का निस्तारण CPC के आदेश 39 नियम 2 (क) में दी गई समयावधि (30 दिवस) में उभयपक्षों को सुनकर गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने के निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है। अपी० नियत दिनांक को तहत अदालत में उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर की जावे। (हस्ताक्षर) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर